न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला (RAS)
राजस्व वाद संख्या 103/2012

1. श्रीमति केली देवी पत्नी स्व0 भोमसिंह
2. श्री प्रभूसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह
3. श्री शंकरसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह
4. श्री बचनसिंह पुत्र स्व0 भोमसिंह

सभी जाति रावत एवं निवासीगण ग्राम राजोरिया का बाडिया श्यामगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर। ....वादीगण

बनाम

1. लाला पुत्र स्व0 सांवला मेरात
2. शंकर पुत्र स्व0 भोला मरात

दोनों जाति मेरात एवं निवासीगण लाखीना तहसील ब्यावर

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय मसूदा ....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादियागण ने अपने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम नीमगढ भू0 अ0 नि0 क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित विवादित आराजी ख0 न0 551 रक्बा 2–01–00 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार स्व0 सांवता उर्फ सावला पुत्र हंजा मेरात ने वादीगण के पति व पिता स्व0 श्रीभोमसिंह वल्द कालूसिंह रावत को दिनांक 12.01.1978 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा भूमि संभला दिया था तब से क्रेता स्व0 भोमसिंह एवं वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। लेकिन वादीगण के अग्रज भोमसिंह ने इसके दाखिले बाबत् ध्यान नही दिया। इस बाबत् प्रतिवादीगण से कहने पर उन्होनें मना कर दिया है। प्रतिवादीगण की नियतबंद है और वे विवादित आराजी को हस्तांतरित आदि करने पर आमादा है अतः उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर जारी सम्मन को उनके द्वारा लेने से इन्कार करने पर जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक सम्मन भिजवाए गये बावजूद प्राप्ति के कोई उपस्थित नही आया अतः उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई वादीगण ने अपने बयान शपथ पत्र पेश किये जिसमें वाद कथन ही दोहराए है। बहस विव्दान अभिभाषक वादीगण सुनी गईं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र प्रदर्श 1 दिनांक 12.01.1978 वादीगण के पति पिता स्व0 भोमसिंह के पक्ष में विवादित आराजी में रहे खातेंदार सांवला पुत्र हंजा मेरात द्वारा निष्पादित किया गया है प्रदर्श 2 में सावला के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रतिवादीगण का अनुपस्थित रहना वादीगण के दावे की पुष्टी करता है।

अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को ग्राम नीमगढ भू0 अ0 नि0 क्षेत्र खरवा स्थित आराजी ख0 न0 551 रक्बा 2–01–00 बीघा में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यथानुसार विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के स्थान पर वादीगण के नाम लगाए जाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर उन्हे वादीगण के विवादित आराजी में चले आ रहे कब्जे काश्त में दखलंदाजी से निषेध किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 08.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 11:42:33 IST
Reason: SelfAttested